CONTENTS

INDEX

TITLE	Page(s)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए एक नई और दूरदर्शी दृष्टि पर एक अध्ययन – **मीनू सचदेवा, डॉ. शिवपाल सिंह**	**02**
हिन्दी भाषा एवं संस्कृति का नई शिक्षा नीति 2020 के सन्दर्भ में अध्ययन –**विनीत कुमार आर्य, डा0 रामबाबू सिंह, डॉ0 मीनाक्षी द्विवेदी**	**16**
शिक्षा नीति **2020:** संवैधानिक प्रावधानों पर अध्ययन – **शिवानी जैन**	**22**
शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी की भूमिका - **पूजा रानी**	**28**
शिक्षक शिक्षा और शिक्षक दक्षताओ को पेशेवर बनाना - **श्री मन्दीप कुमार**	**33**

DVSIJMR
ISSN NO 2454-7522

DVS International Journal of Multi-Disciplinary Research ISSN NO 2454-7522
Vol: 8, ISSUE: 1, No: 29 July – September, 2022

नई शिक्षा नीति 2020: संवैधानिक प्रावधानों पर अध्ययन

शिवानी जैन
एल. एल. एम. शोधार्थी
श्रीकृष्ण विश्वविद्यालय

सार

एनईपी की शुरूआत का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से शैक्षिक अवसरों तक पहुंच में वृद्धि करते हुए समावेशी, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। एनईपी स्कूली शिक्षा 2016-17 के आंकड़ों पर अद्वितीय-जिला सूचना का हवाला देते हुए हाशिए के समूहों के मामले में शैक्षिक पहुंच और समानता की कमी को भी स्वीकार करता है। एनईपी, 2020 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के जनादेश के अनुसरण में लाया गया है , यह संविधान के भाग III और भाग IV के बीच परस्पर क्रिया के पाठक को अवगत कराने के लिए शिक्षाप्रद होगा। बदले में, यह अगले टुकड़े में पदानुक्रम-विरोधी और शैक्षिक समानता पर हमारे तर्कों की नींव रखेगा।

कीवर्ड: सार्वभौमिक शिक्षा, अधिकार, न्याय, संविधानिक अधिनियम, समानीकरण, प्रतिबद्धता।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समाज के वंचित वर्गों की सहायता के लिए 'प्रशंसनीय सुधार' करने पर जोर देती है। हालाँकि, इसके प्रस्तावों की सामग्री शिक्षा असमानताओं को पाटने के गंभीर इरादे को नहीं दर्शाती है। यह विशेष रूप से सच है क्योंकि प्रस्ताव विशिष्ट प्रासंगिक बाधाओं को कम करने के लिए किसी भी लक्षित प्रयासों की व्याख्या किए बिना बजट, प्रौद्योगिकी उपयोग और व्यापक एसईडीजी श्रेणी के लिए आउटरीच तक सीमित हैं, जो इन विविध हाशिए वाले समूहों के सदस्यों का सामना करते हैं। नीति समान शैक्षिक परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य को विशिष्ट वित्तीय जिम्मेदारियों के लिए प्रतिबद्ध नहीं करती है, इस प्रकार वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देती है।

नई शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक अवसरों के समानीकरण के लिए वंचित समूहों द्वारा मांगों के ऐतिहासिक संदर्भ को स्वीकार करने में भी विफल रहा है। इस संबंध में एक प्रमुख प्रस्ताव राज्यों और अल्पसंख्यकों (1945) का अनुच्छेद 2 खंड 4 खंड 1 था, जो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की ओर से डॉ बी आर अंबेडकर द्वारा लिखित एक संवैधानिक प्रस्ताव था । इस खंड के अनुसार, संघीय सरकार को 'अनुसूचित जातियों के लिए विशेष वित्तीय जिम्मेदारी' लेने और विशेष प्रावधान करने के लिए बाध्य किया गया था जो ' प्रथम प्रभार का गठन करेगा।संघ और राज्य सरकार के शिक्षा बजट पर',एसईडीजी द्वारा सामना की जाने वाली 'बाधाओं' को दूर करने के अस्पष्ट प्रस्तावों के विपरीत, यह

संवैधानिक प्रस्ताव 'संघ और राज्य सरकारों' पर 'भारत में अनुसूचित जातियों की माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा के लिए धन खोजने की जिम्मेदारी' तय करने में स्पष्ट था।

लगभग 19.6% छात्र प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति (एससी) के हैं, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर पर यह अनुपात 17.3% तक गिर जाता है। अनुसूचित जनजाति के छात्रों (10.6% से 6.8%), मुस्लिम छात्रों (15% से 7.9%), और विकलांग बच्चों (1.1% से 0.25%) के लिए ये नामांकन ड्रॉप-ऑफ़ और भी गंभीर हैं, साथ ही भीतर महिला छात्रों के लिए और भी अधिक गिरावट इनमें से प्रत्येक सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित समूह (SEDGs)। उच्च शिक्षा में एसईडीजी के नामांकन में गिरावट और भी तेज है ।" (पीपी 23)

संबंधित साहित्य का अध्ययन

एनईपी 2020 भारतीय संविधान में निहित आरक्षण नीति को बरकरार रखता है- श्री रमेश_पोखरियाल 'निशंक' केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आज स्पष्ट किया है कि एनईपी 2020 भारत के संविधान में निहित आरक्षण नीति को कायम रखता है। विवरण देते हुए मंत्री के पत्र 24 तारीख को और उसके आसपास दिखाई देने वाली पीटीआई को जिम्मेदार मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हैनवंबर 2020 यह सवाल करते हुए कि क्या एनईपी 2020 भारत के संविधान में निहित आरक्षण नीति को कायम रखता है। प्रकाशित लेखों के अनुसार, मेरे कुछ राजनीतिक मित्रों ने संदेह जताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-एनईपी-2020 देश के शैक्षिक क्षेत्र में आरक्षण के प्रावधानों को कमजोर कर सकती है। मैं अपने आदेश में सभी प्राधिकरणों के साथ स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कोई इरादा नहीं है, जैसा कि एनईपी-2020 में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में निहित आरक्षण के संवैधानिक जनादेश द्वारा पुष्टि करती है। मुझे लगता है कि एनईपी-2020 में आरक्षण के प्रावधानों को और दोहराने की आवश्यकता नहीं है जो पहले से ही भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर काम कर रहा है।

एनईपी-2020 की घोषणा के बाद जेईई, एनईईटी, यूजीसी-नेट, इग्नू जैसी विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की गईं और शैक्षणिक संस्थानों में कई नियुक्ति प्रक्रियाएं भी हुईं, लेकिन हमें अब तक आरक्षण प्रावधान को कमजोर करने की एक भी शिकायत नहीं मिली है। एनईपी की घोषणा के 4-5 महीने बाद आशंका जताने का मतलब समझना मुश्किल है, वह भी बिना किसी तथ्य के। मैं दोहराता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और अन्य सामाजिक-आर्थिक वंचित समूहों के शैक्षिक समावेशन को लाने के नए प्रयासों के साथ चल रहे सफल कार्यक्रम और नीतियां जारी रहेंगी। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर हमें इस संबंध में कोई शिकायत मिलती है तो मेरा मंत्रालय हर उचित कार्रवाई करेगा।

नई शिक्षा नीति-2020 सभी हितधारकों के छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षाविद्, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और समग्र रूप से समाज के कठोर परामर्श से उभरा

और विकसित हुआ है, ग्राम स्तर से राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर पर जमीनी स्तर पर परामर्श के माध्यम से और राष्ट्रीय स्तर के परामर्श, विषयगत विशेषज्ञ परामर्श, विभिन्न समितियों की जांच जैसे NEP के मूल्यांकन के लिए समिति, NEP के मसौदे की तैयारी के लिए समिति, MyGov.in के माध्यम से ऑनलाइन परामर्श आदि। इस तरह, यह लोगों के दस्तावेज़ निर्देशित के रूप में आकार ले चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांत- सबका साथ, सबका विकास। यही कारण है कि यह एनईपी हमारे समाज के सभी समूहों के शैक्षिक समावेशन के लिए एक संवेदनशील प्रतिबद्धता के रूप में उभरा है।

बालिकाओं और महिलाओं के शैक्षिक समावेशन के लिए, NEP ने लिंग-आधारित वंचित सामाजिक और जैविक समूहों को शामिल करने के लिए विभिन्न सहायता योजनाओं को शुरू करने के लिए 'लिंग- I समावेशन कोष' बनाने का प्रावधान किया है। NEP-2020 ने अल्पसंख्यकों, उनकी शैक्षिक पहलों और राष्ट्र के शैक्षिक क्षेत्र में उन्हें शामिल करने के समर्थन के लिए कई प्रावधान किए हैं। नीति के अनुसार अल्पसंख्यक विद्यालयों और महाविद्यालयों को खोलने को प्रोत्साहित किया जायेगा। NEP-2020 के तहत स्कूलों के वैकल्पिक रूपों का भी समर्थन किया जाएगा। अल्पसंख्यक छात्रों के बीच शैक्षिक क्षेत्र में भाग लेने की क्षमता विकसित करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ('एनईपी') की घोषणा की गई है। जुलाई 2020 में जारी होने के बाद से, NEP को शिक्षा प्रणाली के बहुत आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन के अग्रदूत के रूप में घोषित किया गया है। हालाँकि, नीति कई संवैधानिक चिंताओं को उठाती है। जबकि स्कूलों में शिक्षा के माध्यम और संघीय सिद्धांतों को कम करने के बारे में इनमें से कुछ चिंताओं को कहीं और उठाया गया है, शैक्षिक इक्विटी और हाशिए के समूहों के हितों के कुछ प्रश्नआज तक अनसुलझे हैं। इस लेख और इसके बाद के भाग के माध्यम से, हम एनईपी में कुछ अंतर्निहित कमियों को उजागर करते हुए शैक्षिक समानता के लिए चिंताओं को एक संवैधानिक पृष्ठभूमि प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, हम संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से शैक्षिक समानता के प्रति प्रतिबद्धताओं को मौलिक रूप से मजबूत करने का मामला बनाते हैं।

कोठारी आयोग (और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति, 1968) की शिक्षा प्रणाली में समानता प्राप्त करने के लिए ' शैक्षिक अवसरों के समानता पर जोर' के साथ एक सामान्य स्कूल प्रणाली ('सीएसएस') की दृष्टि है। . यह 1986 की राष्ट्रीय नीति से भी प्रेरित नहीं है, जिसमें "विषमताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसरों को समान बनाने पर विशेष जोर देने" का आह्वान किया गया था, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों ('एसटी') और अनुसूचित जाति के लिए (एससी) समुदायों। इस तरह के सामाजिक एकीकरण को प्राप्त करने के लिए, 1986 की नीति ने छात्रवृत्ति, वयस्क शिक्षा, अनुसूचित जातियों से अधिक शिक्षकों की भर्ती, गरीब परिवारों को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन, नए संस्थानों के विकास और आवास और सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा। (पीपी 7-12) राज्यों और अल्पसंख्यकों के प्रस्ताव ने राज्यों के कुल बजट में

अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को अपने वार्षिक बजट में प्रावधान करने के लिए बाध्य करके शैक्षिक अवसरों तक पहुंच में समानता सुनिश्चित की।

मद्रास राज्य बनाम चंपकन दोराराजन से इन रे: केरल शिक्षा विधेयक, भाग IV ने कड़ाई से गैर-प्रवर्तनीय माने जाने वाले संरचनात्मक मूल्यों के रूप में माना जाने वाला एक लंबा सफर तय किया है जो भाग III के तहत अधिकारों के दायरे और दायरे को निर्धारित करता है। संविधान। आज, कई निर्णयों के बाद , स्थिति पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों ('DPSPs') को इस तरह से लागू किए जाने की उम्मीद है जो मौलिक अधिकारों के साथ स्पष्ट विरोध को कम या स्पष्ट नहीं करता है।

जस्टिस कृष्णा अय्यर की केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस में नई शिक्षा नीति 2020 राय शिक्षाप्रद है। अनिवार्य रूप से, यह बताता है कि अनुच्छेद 16(1) और 16(2) की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो अनुच्छेद 46 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाए।संविधान का। संविधान के अनुच्छेद 46 के लक्ष्य ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि वे राज्य या किसी अन्य सामाजिक बहुसंख्यकों के हाथों किसी भी प्रकार के अन्याय से सुरक्षित हैं। इसलिए, जब अनुच्छेद 16(1) और 16(2), जो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को अनिवार्य करते हैं, अनुच्छेद 46 के आलोक में पढ़े जाते हैं, तो यह राज्य को अन्य बातों के साथ-साथ, पिछड़े लोगों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए बाध्य करता है ।

अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (एफ) में राज्य द्वारा वित्त पोषित होने के साथ-साथ समान और सुलभ शिक्षा का प्रावधान है। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन ने शिक्षा को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया । केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियां एक व्यापक दिशा प्रदान करती हैं और राज्य सरकारों से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु 1968 में पहली शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित तीन-भाषा फार्मूले का पालन नहीं करता है।

2002 में 86वें संशोधन ने शिक्षा को अनुच्छेद 21-ए के तहत एक प्रवर्तनीय अधिकार बना दिया । संविधान का अनुच्छेद 21ए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को बाध्य करता है।

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करना है।यह समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण को भी अनिवार्य करता है ।

निष्कर्ष

शैक्षिक नीतियां प्रणाली को सुचारू रूप से, सुरक्षित रूप से चलाने के लिए आवश्यक नियमों, विनियमों, प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल को परिभाषित करने में मदद करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। यह स्वीकार्य व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए नियमों और विनियमों को स्थापित करने में भी मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि समग्र शैक्षिक वातावरण छात्रों के लिए सुरक्षित है और एक उत्पादक सीखने के माहौल को बनाना एक जिम्मेदारी है।

सन्दर्भ

- "राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षाविदों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाओं को उद्घाटित करती है"। आउटलुक इंडिया। पीटीआई। 29 जुलाई 2020। 30 जुलाई 2020को पुनःप्राप्त।
- नायडू, एम. वेंकैया (8 अगस्त 2020)। "नई शिक्षा नीति 2020 भारत के शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी" । टाइम्स ऑफ इंडिया ब्लॉग । 9 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त ।
- चतुर्वेदी, अमित (30 जुलाई 2020)। "'राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत स्वागत है लेकिन...': शशि थरूर ने कुछ चुनौतियों पर प्रकाश डाला" । हिंदुस्तान टाइम्स । नई दिल्ली । 30 जुलाई 2020 को लिया गया ।
- जैन, संगीत (6 अगस्त 2020)। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: समय के लिए एक नीति" । ओआरएफ । 9 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त ।
- सरफराज, कायनात (29 जुलाई 2020)। "नई शिक्षा नीति को मिली-जुली प्रतिक्रिया, सिसोदिया ने एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने के कदम का स्वागत किया" । हिंदुस्तान टाइम्स । 31 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त ।
- "एनईपी लाखों लोगों के जीवन को बदल देगी, मोदी कहते हैं; सीपीएम इसे शिक्षा को नष्ट करने के लिए एकतरफा अभियान की संज्ञा देता है" । फ़र्स्टपोस्ट । 30 जुलाई 2020 । 9 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त ।
- रॉय, कुमकुम (31 जुलाई 2020)। "राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कहा गया है, क्या नहीं, इसकी बारीकी से जांच की जरूरत है। " द इंडियन एक्सप्रेस ।
- "एनईपी 2020" तमिल को कमजोर करता है, इसके कार्यान्वयन को रोकें: स्टालिन " । टाइम्स ऑफ इंडिया । पीटीआई। 9 अगस्त 2020 । 9 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त ।
- "आइशे घोष ने इंटर्नशिप को 'बाल श्रम' कहा, ट्विटर ने 'फ्रीलाडर कम्युनिस्टों' का मजाक उड़ाया" . फ्री प्रेस जर्नल । 9 अगस्त 2020 को लिया गया ।
- शुक्ला, आशीष (30 जुलाई 2020)। "एनईपी 2020 में मोदी सरकार के 3-भाषा फॉर्मूले से नेटिज़ेंस नाराज" । इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स । भारत । 9 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त ।

- स्टालिन, जे सैम डैनियल (1 जून 2019)। दत्ता रॉय, दिव्यांशु (संपा.). "#StopHindiimposition विरोध प्रदर्शन केंद्र की मसौदा शिक्षा योजना के खिलाफ" । एनडीटीवी । 30 जुलाई 2020 को पुनःप्राप्त ।

DVSIJMR
ISSN NO 2454-7522